

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी कार्यालयाध्यक्ष व डी० डी० ओ०,
मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालय, श्रम विभाग,
हरियाणा।

क्रमांक: स्था०/०४/२०२३/ ६२५७-३१९
दिनांक: १६/०३/२०२३


विषय:-

Regarding correction in HRMS of Group-D employees appointed after enactment of
Group-D Act, 2018.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि आप अधीनस्थ विभाग में मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों पर कार्यरत सभी ग्रुप-डी कर्मचारियों जोकि ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2018 के तहत कवर होते हैं कि ऑनलाइन स्थानांतरण को लागू करते समय किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए एच०आर०एम०एस० पोर्टल पर कर्मचारी का डाटा जैसे कि आयु, लिंग, जन्म तिथि आदि को जल्द से जल्द दुरुस्त करते हुए व एच०आर०एम०एस० पोर्टल में पुलिस सत्यापन से संबंधित बिन्दु भी भरते हुए मुख्यालय को दो दिन के अंदर-अंदर रिपोर्ट भेजे। ताकि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, मानव संसाधन विभाग, कॉमन कैडर-1 शाखा द्वारा मांगी गई रिपोर्ट समय पर भेजी जा सके।

यह आपको आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।